न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व दरख्वास्त संख्या : 85/2012

प्रार्थी :-

1. घेवरराम पुत्र बोदूराम
जाति-जाट,निवासी-आ0कालू
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम अप्रार्थीगण :-

1 धाराराम पुत्र बोद्धराम
जाति-जाट, निवासी-आ0कालू
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

2. समुडी देवी पत्नी रामलाल
जाति-मेघवाल,निवासी-कांवलियाखुर्द
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

3. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:. 16/04/2012

उपस्थितः. 1 श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2 श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णयः- दिनॉकः 26/06/2015

वकील सायल प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक स्वर्गीय बोदूराम जाट निवासी-आ0कालू के जायन्दा पुत्र है। बोद्धराम के प्रार्थी व अप्रार्थी के अलावा और भी पुत्र व पुत्रीया हुये। स्वर्गीय बोदूराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन राजस्व मौजा-आ0कालू-द्वितीय, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 109 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा में से 1/2 में से 2/3 वे हिस्से की जमीन, खसरा नम्बर 278 रकबा 21 बीघा 12 बीस्वा में 1/2 में से 1/2वां हक हिस्से की जमीन आई हुई हैं। उक्त जमीन प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के अलावा अन्य सह हिस्सेदारों के बीच शामलाती आई हुई हैं। उक्त जमीन बोदूराम जाट निवासी आ.कालू वालो की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। जिनका स्वर्गवास होने पर आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के अलावा अन्य सहहिस्सेदारों व उत्तराधिकारी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। उक्त आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 278 रकबा 21 बीघा 12 बीस्वा मौजा-आ0कालू-द्वितीय के अलावा अन्य खसरा नम्बरान की जमीन भी प्रार्थी एवं अन्य सहहिस्सेदारों के बीच संयुक्त व शामलाती हैं। जिसका अभी तक बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नहीं हुआ हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक सभी शामलाती मौके पर काश्त कर रहे हैं। इस भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित भूमि जाना/निर्दिष्ट किया जायेगा। अप्रार्थी संख्या 01 धाराराम ने अपनी पैतृक पुश्तैनी संयुक्त व शामलाती भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा कराने का एक वाद-पत्र अदालत के समक्ष राजस्व वाद संख्या 39/2000 बाबत तकारमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था। जिसकी आगामी तारीख पेशी 23/05/2012 को नियत हैं। साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था। मूल वाद-पत्र व प्रार्थनापत्र जैर विचारण व सुनवाई में नियत हैं। तथा विवादित जमीन का बाई मिटस एण्ड

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बाउण्डरा के अभी तक किसी प्रकार से कोई बंटवाडा नहीं हुआ हैं। तथा अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं द्वारा किया हुआ वाद विचाराधीन हैं। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पैतृक व पुश्तैनी संयुक्त व शामलाती भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डरा बंटवाडा करवाये बिना किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान नहीं किया जा सकता हैं, न ही ऐसा अजनबी केता ऐसा भूमि पर कोई कब्जा ही प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अदालत श्रीमान के समक्ष वाद विचाराधीन की जानकारी प्रार्थी संख्या 01 स्वयं को होते हुये भी अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी से कहा कि वह बिना बंटवाडा करवायें ही बाले बाले केवल राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम होने के आधार पर जमीन का बेचान अजनबी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बेचान करेगा ताकि वह मौके पर जाकर विवाद करें एवं प्रार्थी को उसकी पुश्तैनी जगीन से बेकाबिज कर सकें। तब प्रार्थी ने अप्रार्थी को समझाया लेकिन अप्रार्थी नहीं माना एवं बाले-बाले बिना सहहिस्सेदारों की जानकारी में दिये अप्रार्थी संख्या 01 ने विवादित भूमि में से अप्रार्थी संख्या 02 को बेचान कर दिया है तथा दिनांक 09/04/2012 को लिखत बेचान पंजीबद्ध करवा दिया। लेकिन मौके पर अभी तक अप्रार्थी संख्या 02 ने कोई कब्जा प्राप्त नहीं किया हैं। जगीन भी सम्पूर्ण शामलाती हैं। अतः किया गया बेचान विधिक प्रावधानों के विपरीत हैं। लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में बेचाननामा हो जाने की वजह से अप्रार्थी संख्या 02 व उसका पति रामपाल आदि जबरदस्ती लडाई झगडा कर प्रार्थी को उसके कब्जे की जमीन से बेकाबिज कर अपना कब्जा करने को आमादा हैं दिनांक 15/04/2012 को अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि वह मौके पर जाकर जमीन की खडाई करवायेगी, यदि किसी ने मना किया तो अनुसूचित जाति / जन जाति के आराधिक मुकदमों में फंसा देगी, जो कतई अनुसूचित हैं। अप्रार्थी संख्या 02 इस विवादित भूमि की अजनबी केता है जिसे भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा किये जाने से पूर्व किसी विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 02 को अजनबी केता होने से इस प्रकार का कब्जा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की और से सादर पेश हैं। विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त व शामलाती हैं। जिसका बंटवाडा होने तक राजस्व रेकर्ड की भी यथा स्थिति बनाई रखी जाना न्यायाहित में आवश्यक हैं अन्यथा अजनबी केता मौके पर आकर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर विवाद करेगी जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी होगी। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा जबरदस्ती कब्जा ले लेने पर प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी । प्रार्थी अप्रार्थी के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगा जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स होगी। अप्रार्थी सं. 01 ने अप्रार्थी सं. 02 के पक्ष में बेचान विलेख लिखते समय सम्पूर्ण भूमि को विवाद रहित होना बताया हैं। तथा न्यायालय में भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होना बताया हैं। उक्त तथ्य भी बिल्कुल गलत लिखे गये हैं। इसलिये प्रथम दृष्टिया प्रार्थी का बहुत ही मजबूत मामला हैं भूमि संयुक्त व शामलाती होने की वजह से अदालत श्रीमान के समक्ष तकासमा आराजी का वाद अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पेश किया गया विचाराधीन होने से सम्पूर्ण भूमि संयुक्त व शामलाती होना साबित हैं। इसलिये सुविधा का सतुलन भी प्रार्थी संयुक्त व शामलाती होना साबित हैं इसलिये सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। मूल वादपत्र के निस्तारण होने तक संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। मूल वादपत्र के निस्तारण होने तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाना

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

न्यायाहित में आवश्यक हैं। अप्रार्थी संख्या 02 को प्रार्थी के कब्जे व काश्त में भी दखलदांजी करने से रोका जाना आवश्यक हैं इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के पेश हैं। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि राजस्व मौजा आ0कालू तहसील जैतारण में स्थित आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 20-10 बीघा व ख.न. 278 रकबा 21-12 बीघा भूमि मे प्रार्थी अपने सहहिस्सेदारो के साथ काबिज होकर काश्त करे या करावें व काश्त मुतालिक कार्य करवावें तो अप्रार्थी सं. 02 उसमें हस्तक्षेप व दखलदांजी नहीं करे एवं दावें के अन्तिम निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड में भी किसी प्रकार का कोई रद्धोबदल व माफिक बेचान के नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जावें। ऐसा करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावें।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। जबाब हेतु गैरसायलान को तलब किया गया। गै0सा0 संख्या 1 व 2 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र एवं फहरिश्त दस्तावेज पेश किये, सा0मि0 हैं। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आ0कालू में पेश हुई। वकुलाय बहस हेतु समय चाहते हैं। बार-बार समय दिए जाने के बावजूद भी बहस नहीं करने से बहस का अवसर बंद किया जाता हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायलान के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 16/04/2012 को जारी होकर गैरसायलान को पाबन्द किया कि उक्त भूमि की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा अन्य किसी को रहन बेचान एवं अन्य हस्तान्तरण करने से अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका गया के आदेश को पुख्ता किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः सायल का प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा-आ0कालू-द्वितीय, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 109 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 278 रकबा 21 बीघा 12 बीस्वा में सायल की भूमि की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा अन्य किसी को रहन, बेचान एवं अन्य हस्तान्तरण आदि करने से वाद निर्णय तक गै0सा0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। न्यायालय के आदेश दिनांक 16/04/12 को पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/06/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर -आ0कालू में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner